

65



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर, केम्प गार

हाकिमसिंह तनय भगुन्तासिंह ठाकुर  
निवासी ग्राम लिधौरा नज0 तौरी तह. पलेरा  
जि. टीकमगढ

निगा - 1145 - I - 16

.....निगरानीकर्ता

मदक - अधिकार

श. गिरेन्द्र सिंह

विरुद्ध

द्वारा

यह

23/5/16

1. म.प्र.शासन
2. फुन्दी तनय करिया अहिरवार  
निवासी ग्राम लिधौरा नज0 तह. पलेरा  
जि टीकमगढ

विरुद्ध

.....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक तह. पलेरा जिला टीकमगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/11/15 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :-

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लिधौरा नज. तौरी स्थित भूमि खसरा क्र 269/3 एवं 270 के सीमांकन हेतु अनावेदक क्र 2 द्वारा आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत तरीके से कार्यवाही कर विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।
2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय को इस बात को मानना चाहिए था कि निगरानीकर्तागण ना केवल सरहदी कृषक वरन् सहखातेदार है तथा प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता को ना तो

B  
[Signature]

(65)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1745-एक/2016 जिला टीकमगढ़ हाकिम विरूद्ध म.प्र.शासन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री नितेन्द्र सिघई एवं अनावेदक अभिभाषक श्री संजय सेन उपस्थित ।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक पलेरा के द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ-12/2015-16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 20-11-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p>	<p>(आर.के.जिने)</p> <p>सदस्य 4.1.19</p>